उत्तराखंड शासन

औधोगिक विकास अनुभाग-2

संख्या-606/VII-II/09/121-उद्योग/2007

देहरादून:दिनांक 26 फरवरी,2010

अधिसूचना

 औधोगिक विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या-11/ओ0वि0/07-उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी 2004 तथा शासनादेश संख्या-940/औ0वि0/07-उद्योग/2004-05 दिनांक 9/10 नवम्बर 2004 के द्वारा निजी औधोगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांक 5485/उ0नि0 (पांच)-मेगा प्रोजेक्ट /09-10 दिनांक 16 मार्च 2009 के सन्दर्भ में में0 शिवगंगा इंडस्ट्रियल इस्टेट ग्राम-लंकेश्वरी परगना भगवानपुर तहसील रुड्की जिला हरिद्वार को ग्राम-लंकेश्वरी परगना भगवानपुर तहसील रूड़की जनपद हरिद्वार में जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं तथा जो आस्थान से सम्बद्ध है / निरंतरता में हैं,को आस्थान के विस्तार के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधो एव शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| राजश्व ग्राम का नाम  | खसरा नम्बर  | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) |
| ग्राम-लंकेश्वरी परगना-भगवानपुर तहसील रुड़की,जिला हरिदवार  | 18,134,135 व 81 ख  | कुल 4 किता कुल रकवई0.5880 |

1. GIDCR-2005 के पृष्ठ 34 से 37 में औधोगिक आस्थान के विकास लिए दिए गए मानकों/उपविधियो के उपबंधो का पालन करना होगा।
2. इस औधोगिक आस्थान की भूमि आस्थान के प्रर्वतक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबंधित है। अत: आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमत: भूमि क्रय विलेख पत्र Sale Deed निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबंधो के अनुरूप (1) कृषि भू-उपयोग से औधोगिक भू उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औधोगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली औधोगिक इकाईयों के भवन मानचित्र SIDA से स्वीकृत कराने होंगे।
3. विशेष औधोगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओ के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओ का दायित्व आस्थान के प्रवर्तक कंपनी का होगा। आवंटी ईकाईयो को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओ तथा अन्य के सम्बन्ध में स्पष्ट सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगीं।
4. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजश्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/2003-सीई दिनांक 10 जून 2003 के annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत श्रेणी-बी proposed industrial Area के रूप में ग्राम लंकेश्वरी परगना भगवानपुर तहसील रुड़की के अंतर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा संख्या 18,134,135,81 ख पर स्थापित होने वाली नई औधोगिक ईकाईयो (नकारात्मक सूची के उद्योगों को छोड़कर) को पात्रता पूर्ण करने पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।
5. निजी औधोगिक आस्थान के विकास हेतु औधोगिक विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा प्रदेश की औधोगिक नीति के अंतर्गत एसी औधोगिक ईकाईया, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित हैं, की स्थापना औधोगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।
6. प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थानमें भूखंडो की निर्धारित की गई दरो, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबंधक जिला उधोग केंद्र/निदेशक,उद्योग,उत्तराखंड को समय-समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
7. विशेष आस्थान की विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वैन एव पर्यावरण विभाग, राजश्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराँचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचरिकताएँ अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कंपनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।
8. सभी आवंटियों से उद्योग स्थापना से पूर्व यह अंडरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगो को उपलब्ध कराया जाएगा तथा भूमि/भूखंडकी सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।
9. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग,उत्तराखंड,शासन तथा निदेशक,उद्योग,उत्तराखंड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशो यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औधोगिक ईकाईयो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है,की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नहीं की जाएगी।
10. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

 (पी0सी0शर्मा)

 प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या:606(1)/VII-II/09/121-उद्योग/2007तददिनांकित।

प्रतिलिपि निन्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी,उत्तराखंड शासन।

2. स्टाफ ऑफिसर,मुख्य सचिव,उत्तराखंड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

3. सयुक्त सचिव,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संबर्धन विभाग),उद्योग भवन,नई दिल्ली।

4. निदेशक, उद्योग,उत्तराखंड, उद्योग निदेशालय,पटेलनगर,देहरादून।

5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड राज्य उर्जानिगम, उर्जाभवन, देहरादून।

6. मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

7. अध्यक्ष,समस्त उद्योग संघ,उत्तराखंड,देहरादून।

8. जिलाधिकारी, हरिद्वार ।

9. प्रबंध निदेशक,सिडकुल,देहरादून।

10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उत्तराखंड,देहरादून।

11. सचिव, उत्तराखंड पर्यावरण सरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

12. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र,रुड्की (हरिद्वार)।

13. में0 शिव गंगा इंडस्ट्रियल एस्टेट ग्राम-1लंकेश्वरी,परगना भगवानपुर तहसील रुड्की जिला हरिद्वार।

14. NIC, उत्तराखंड सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ की उक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रकाशित करने का कष्ट करे।

15. गार्ड फाईल।

 आज्ञा से,

 ह0/-

 23/2

 (पी0सी0शर्मा)

 प्रमुख सचिव।